

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर मवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्लैब, जयपुर

क्रमांक : एफ 13(1) (15) डे-केयर / सकवि / 2006 / आदेश 39513

दिनांक: 11/07/17

विभागीय आदेश क्रमांक एफ-13()सा.सु./सकवि/डे-केयर/98-99/17581 जयपुर, दिनांक 23.3.1999 एवं पत्रांक 61613 दिनांक 3.10.2007 के द्वारा स्वयं सेवी संस्था मरु क्षेत्रीय विकास समिति, डाबला, जैसलमेर को डे-केयर सेन्टर के लिये 25वृद्धों (एक यूनिट) हेतु मान्यता एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी।

संस्था ने डे-केयर सेन्टर के लिये बजट बहुत ही कम होने की स्थिति में केन्द्र का संचालन बन्द करने एवं जिलाधिकारी, जैसलमेर के पत्रांक सान्याअवि/डे-केयर/2017/4979 दिनांक 09.06.2017 के द्वारा केन्द्र की मान्यता एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 01 मई 2015 से निरस्त किये जाने की अभिशंषा के आधार पर मरु क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा संचालित केन्द्र बन्द किये जाने की दिनांक से मान्यता एवं प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाती है।

(डॉ० समिति शमी)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 13(1) (15) डे-केयर / सकवि / 2006 / आदेश 39514-23 दिनांक: 11/07/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 जिला कलक्टर, जैसलमेर।

2 वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।

3 सहायक निदेशक, जैसलमेर को भेजकर लेख है कि मरु क्षेत्रीय विकास समिति, डाबला से यदि कोई वसूली योग्य राशि हो तो नियमानुसार वसूली कर समिति से अनावर्तक मद से क्रय किये गये सामान को जिला कार्यालय में जमा कर प्रति निदेशालय को शीघ्र भिजवाये।

4 अध्यक्ष / सचिव, मरु क्षेत्रीय विकास समिति, डाबला, जैसलमेर को भेज कर लेख है कि आडिट रिपोर्ट, यू.सी. अनावर्तक सामान जिला कार्यालय जमा करायें।

5 एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, मुख्यावास को बेवसाईट पर से डे-केयर सेन्टर की सूची में से संस्था का नाम हटाये जाने हेतु।

6 लेखाकार, आडिट / अंकमिलान / बजट, मुख्यावास।

7 आदेश पत्रावली।

अशोक कुमार
(अशोक कुमार)

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)